ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध

प्लास्टिक का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज पर्यावरण खतरे में है। दुनिया भर में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें सिर्फ 9 फीसदी ही रिसाइकिल होता है। 12 फीसदी जला दिया जाता है जो हमारी हवा को जहरीला बनाता है, बिल्क 79 फीसदी प्लास्टिक कचरा इधर-उधर बिखर कर हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। इसका बुरा प्रभाव समुद्री जीव-जंतुओं पर पड़ रहा है। अगर प्लास्टिक का सही निपटारा नहीं किया गया तो 2050 तक हमारे आसपास 1 अरब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। अगर हम अब भी कुछ बुनियादी कदम उठाएँ तो समुद्री जीवों के साथ-साथ दुनिया के हर जीव-जंतु के साथ हमारा सह-अस्तित्व बना रहा सकता है। उन कदमों से प्लास्टिक के बढ़ते खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है।

वर्तमान संदर्भ

- ♦ भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOU) सहित देश में ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- ♦ पर्यावरण मंत्रालय ने देश में खतरनाक कचरे के पर्यावरणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और पारगमन नियम, 2016 में संशोधन किया है।
- "नियमों के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए," ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 'और' मेक इन इंडिया 'पहल को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है। एक ही समय में, सतत विकास के सिद्धांतों को कायम रखते हुए न्यनतम प्रभाव सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है।
- नियमों में रेशम कचरे के निर्यातकों को मंत्रालय से अनुमित लेने की भी छूट दी गई है।
- ♦ "जिन उद्योगों को जल (प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत सहमित की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब नियमों के तहत भी प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग पर्यावरण के लिये गंभी<mark>र</mark> खतरा

- पिछले 50 सालों में प्लास्टिक का प्रयोग दोगुना हुआ है, जो अगले 20 साल में फिर से दोगुना हो सकता हैं सबसे अधिक प्लास्टिक उपयोग करने वाले विश्व के देशों में भारत का पाँचवा स्थान है।
- भारत की प्लास्टिक निर्यात के प्रति मौजूदा रूझान अत्यधिक उत्साहनक है और 2018-19 में प्लास्टिक निर्यात
 8 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

प्लास्टिक कचरे का दुष्प्रभाव

- देश में हर साल तकरीबन 56 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है। इसमें लगभग 9025 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में लाया जाता है।
- यह हानिकाकर प्लास्टिक हमारी मिट्टी, समुद्र और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है।
- प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से प्रतिवर्ष तकरीबन एक लाख से ज्यादा पशु-पक्षी मर जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि ये नॉन-बायोडीग्रेडेबल होते हैं।
- समुद्र की स्थिति और भी भयावह है। समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में असंख्य टुकड़े तैरते रहते हैं। अधिक वक्त बीतने के बाद ये टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं।
- जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, समुद्र तट पर पाया जाने वाला प्लास्टिक का यह भाग कुल प्लास्टिक का सिर्फ एक फीसदी है, जबिक 99 प्रतिशत भाग समुद्री जीवों के पेट में फिर समुद्र तल में जमा है।
- प्लास्टिक के बर्तनों में खाने और बोतलों में पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, प्लास्टिक के नष्ट होने में 500 से 1000 साल का वक्त लगता है। दुनिया में हर साल 80 से 120 अरब डॉलर का प्लास्टिक बर्बाद होता है जिसकी वजह से उद्योगों पर रिसाइकिल कर पुन: प्लास्टिक तैयार

करने का दबाव ज्यादा होता है।

सरकार के पहल

- प्लास्टिक कचरे की चुनौती से निपटने के लिये केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने देश में कचरा प्रबंध न से जुड़े नियमों को पहले के मुकाबले कड़ा किया है ताकि प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।
- ◆ 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन भारत करेगा। जिसकी थीम, 'प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति' रखी जाएगी।
- ♦ प्लास्टिक की विकराल समस्या से निपटने के लिये भारत ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्लास्टिक कचरे को लेकर देश में नियम कड़े किये गए हैं। इसमें 2016 में लाया गया प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम भी शामिल है।
- इसके तहत प्लास्टिक के कैरी बैंग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन करना अनिवार्य किया गया। इससे कम माइक्रोन की थैलियों की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- प्लास्टिक के कैरी बैग के उत्पादों का आयात और इन्हें बेचने वालों का पूर्व पंजीकरण कराना भी अनिवार्य किया गया है ताकि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क जुटाया जा सके और पर्याव्रण संरक्षण के उपायों को मजबूती से लागू किया जा सके।
- जब यह नियम अधिसूचित किया गया उस समय के अनुमान के मुताबिक देश में रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है जिसमें से 9000 टन प्लास्टिक कचरा जिसे समेट लिया जाता है, को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन 6000 टन प्लास्टिक कचरा ऐसे ही खुले में बिखरा पड़ रह जाता है जो पर्यावरण में जहर घोलने का काम करता है।
- नए नियमों के तहत प्लास्टिक थैलियों, कैरी बैग और पैकेज्ड सामग्रियों पर इसके निर्माता का नाम, पता दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है।
- बिना नाम पते वाली प्लास्टिक थैलियों की बिक्री गैर-कानूनी घोषित की गई है। इसी तरह दुकानदारों के लिये भी
 प्रावधान किया गया कि वह सामान बेचने के लिए ऐसी थैलियों का इस्तेमाल न करें।
- कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अलावा, केंद्र सरकार ने इसी साल कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत कई अन्य नियम भी अधिसूचित किये जिसमें शामिल है-
 - ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 2. बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन नियम, 2016
 - 3. निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016
 - 4. खतरनाक और अ<mark>न्य कचरा (प्रबंधन औ</mark>र सीमापार परिवहन) नियम, 2016
 - 5. ठोस कचरा प्रबंधन <mark>नियम, 2016</mark>
- प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकारें भी इस मुहिम में योगदान दे रही हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
- ♦ हालाँिक दूध, दही, तेल और चिकित्सीय उत्पादों को पैक करने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।
- U.N. ने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये भारत ने जो नई पद्धित और कार्य प्रणाली अपनाई है वह सराहनीय है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सिर्फ संग्रहण, परिवहन के साथ प्रसंस्करण को ही शामिल किया जाता है।
- 2. ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत यदि कोई समारोह का आयोजन करता है तो उस दौरान उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक के संग्रह की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी।
- 3. मेघालय डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) इनमें से कोई नहीं

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- मानव और पर्यावरण के समक्ष प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण एक भयावह रूप लेता जा रहा है यदि इसका पूर्णत: समाधान नहीं खोजा गया तो आने वाले समय में यह प्रदूषण का टाइम बम बन जायेगा। इस कथन की व्याख्या करें।

